पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,जिलाहनुमानगढ़

पीठासीनअधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

करण संख्या – 319/2024

नवान :

1 बलवन्तसिह पुत्र कृष्ण सिह जाति बावरी निवासी मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. श्रीमान् तहसीलदार साहब राजस्व तहसील टिब्बी

प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा
88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति:—1 अधिवकता श्री महेश गौड़ :—वादी
2 राजपैरोकार

डिक्री दिनांक............................

ज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष गील वादी श्री महेश गौड़ व राजपैरोकार अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद दी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी ाबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक 5 एम.के.एस चालू माबन्दी खाता संख्या 23/19 में अंकित भूमि प0न0 190/223 मु0 69 किलान0 4,7/.506 , 14/.253 है0 में से 0.239 है0 पूर्वी दिशा, 17/.253 है0, 18/.253 है0 में से 0.011 है0 क्षिणी–पूर्वी कॉर्नर में, 23/.253 है0 मे से 0.013 है0 पूर्वी दिशा कुल किता 06 तादादी रकबा)12 है0 अनकमाण्ड भूमि को रहनमुक्त दर्ज किये जाने तथा उक्त भूमि का वादी को तेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते । तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन ी हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।खर्चा उभयपक्षकारान अपना नना वहन करे।

ड पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/1.21/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी । गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner